2026:AHC:35672

उच्च न्यायालय इलाहबाद

रिट -सी संख्या - 6429/2026

हीरा लाल एवं अन्य ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 13 अन्य ..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रभाकर त्रिपाठी, रमेश कुमार यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : आजाद राय , मुख्य स्थायी अधिवक्ता अधिवक्ता

<u>न्यायलय संख्या -6</u>

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात आयुक्त (न्यायिक), मंडल प्रयागराज, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज को निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 207 के अधीन मामला संख्या 2333 / 2024, कंप्यूटरीकृत मामला संख्या सी202402000002333 (लालजी बनाम हीरा लाल एवं अन्य) का निर्णय करने का निर्देश देना है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल) एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय को सुना गया।

3. आज पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात आयुक्त (न्यायिक), मंडल प्रयागराज, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उपरोक्त अपील का निर्णय, विधि के अनुसार सख्ती से करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

17 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"